न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 19/2018 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— कुशालसिंह पुत्र श्री जोरासिंह जाति जटसिख निवासी 32 एसएसडब्ल्यू ढाणी 34 एसएसडब्ल्यू फतेहगढ पीएस हनुमानगढ टाउन, जिला व तहसील हनुमानगढ।

——— **अपीलान्ट**

—— **बनाम** ——

स्टेट ऑफ राजस्थान।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :— श्री विजयपालसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री कमलजीतसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 16.10.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 30.04.2018, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध दिनांक 19.6.2018 को यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने स्वर्गीय पिता श्री जोरासिंह के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 20/73 ओ.एस. संख्या 376/94 डीएम हनुमानगढ पर दर्ज शस्त्र 12 बोर गन नं. 8929, राईफल नं. 7058 व माऊजर नं. 22787 को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष दिनांक 8.2.2018 शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी(सुरक्षा) जयपुर, उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ तथा उपवन संरक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ ने नोटशीट पर संबंधित लिपिक द्वारा की गई टिप्पणी — यथा, "सरपंच, ग्राम पंचायत 30 एसएसडब्ल्यू, हनुमानगढ द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र अनुसार वारिसों का बायोमेट्रीक अथवा एडीएम हनुमानगढ के समक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र सी—14 अनुसार लाईसेन्सी की मृत्यु दिनांक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

10.4.2013 को हुई है, जबकि मृतक का अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2012 तक नवीनीकृत है।'' को आधार मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ ने अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.18 से निरस्त (Reject) कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी । अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अवगत कराया अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से प्राप्त हुई है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर रखते हुए न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री विजयपालसिंह का अपनी बहस मुख्य रुप से कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश ऑर्डरशीट पर मात्र Reject लिख कर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया है, जो खिलाफ कानून और काबिले खारिज है। अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात संलग्न कर प्रस्तुत किये हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट क्रमांक 190 दिनांक 12.04.2018 में अपीलांट को ''मृतक प्रकरण'' में शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। पुलिस अधीक्षक, सीआईडी(सुरक्षा) जयपुर, उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा भी अपीलांट के संबंधी में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अपीलांट का लाईसेंस बनने में किसी भी तरह की कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है, जिसकी ओर अधिनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। ऑर्डर शीट में लिखा है कि मृतक के वारिसों का बायोमेट्रीक अथवा एडीएम हनुमानगढ के समक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है। इस बाबत ए.डी.एम. हनुमानगढ ने कोई भी नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिया, न ही सम्पूर्ण ऑर्डर शीट में कोई नोटिस जारी करने का हवाला है। ए.डी.एम. हनुमानगढ स्वंय की गलती है, जिसका खामियाजा अपीलार्थी भर रहा है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ है। ऑर्डरशीट में लिखा है कि लाईसेन्सी की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण लाईसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ है। अपीलार्थी के पिता लाईसेंसी ने अपने जीवनकाल में नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय स्वंय

सभागीय आयुक्त
बीकानेर

की कमी व देरी की वजह से लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये एकतरफा तौर पर पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री कमलजीतसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने मृतक पिता का शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्रों को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। वारिस प्रमाण पत्र अनुसार वारिसों का बायोमेट्रीक अथवा एडीएम हनुमानगढ के समक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है। इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी ऑर्डरशीट पर "वारिस प्रमाण पत्र अनुसार वारिसों का बायोमेट्रीक अथवा एडीएम हनुमानगढ के समक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है तथा लाइसेंसी की मृत्यु दिनांक 10.4.13 को हुई है, जबकि मृतक का अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.12 तक नवीनीकृत है।" की टिप्पणी को मध्यनजर रखते हुए केवल Reject शब्द अंकित कर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है तथा स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई अलग से आदेश जारी जारी नहीं किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस जांच में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है, बल्कि जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र "मृतक प्रकरण" में दिये जाने की अनुशंषा की है तथा पुलिस अधीक्षक, सीआईडी(सुरक्षा) जयपुर, उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा भी अपीलांट के संबंधी में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अपीलांट का कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। जहॉ तक मृतक के वारिस प्रमाण पत्र अनुसार वारिसों का बायोमेट्रीक अथवा एडीएम हनुमानगढ के समक्ष सत्यापन नहीं करवाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलीर्थी को बुलाया जाने संबंधी कोई पत्र या नोटिस जारी होना नहीं पाया गया है। केवल आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की सूचना मात्र अपीलार्थी को दी गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड का पूर्ण रुप से अवलोकन नहीं किया गया है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।आदेश आज दिनांक 16.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर